न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—48/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/48)

1. रघुवीर सिंह पुत्र केसरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. दिनेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह
2. सुखपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह
3. गजपाल सिंह उर्फ गणपत सिंह पुत्र प्रताप सिंह
4. केशवसिंह पुत्र प्रभूसिंह
5. दीपकसिंह पुत्र प्रभूसिंह
6. पुष्पा कंवर पत्नि प्रभूसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 42/2023

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मनोहरलाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः—16.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 42/2023 वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 4 ने बंटवारा हेतु सहमति प्रदान की तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 6 को बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 31.1.2024 को कार्यवाही कर वाद पत्र में प्राथमिक आज्ञप्ति जारी करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2023 में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में राज्य सरकार को पक्षकार मुर्तिब किया गया है लेकिन राज्य सरकार के नोटिस तामील होने अथवा नहीं होने अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने अथवा जवाब दावा प्रस्तुत होने अथवा नहीं होने बाबत निर्णय में कुछ भी अंकित नहीं है जबकि राज्य सरकार भूमि धारक होकर स्वयं वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 मुर्तिब किया गया है जो भूमि धारक होकर आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव अथवा भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में बंटवारा हेतु राज्य सरकार/भूमि धारक को कोई आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता जिससे निर्णय व डिक्री अपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में भी यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा विधिवत बंटवारा कर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुती हेतु तहसीलदार/भूमि धारक को आदेशित किया गया हो जिससे उक्त डिक्री आदेश 20 जा0दी0 के अनुसार निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.1.2024 को निर्णय पारित किया गया है जिसमें वाद पत्र के अभिवचन भी अंकित नहीं किए गए है कि वादीगण द्वारा क्या वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं किस किस्म का वाद है तथा वाद की विषय वस्तु क्या है एवं किस स्थान पर अवस्थित है जिससे निर्णय भी आदेश 20 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अपूर्ण होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.6.2023 के अनुसार नोटिस जारी करना परिलक्षित होता है लेकिन नोटिस तामील होकर प्राप्त होना तथा किस दिनांक को प्राप्त हुए बाबत आदेशिका में कुछ भी अंकन नहीं है जिससे समस्त आदेशिका रेवेन्यु कोर्ट्स मैन्युअल/व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्णय व प्राथमिक आज्ञप्ति निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार वाद के संलग्न बेसिस ऑफ सूट दस्तावेज क्या प्रस्तुत किए गए एवं किस स्थान पर किन किन खसरा नम्बरान की कितने रकबे की किस किस्म की आराजीयात बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है कुछ भी अंकित नहीं है ना ही दस्तावेजों का अंकन है एवं ना ही पक्षकारान के बयान ग्रहण करने बाबत अंकन है ना ही दस्तावेजात के प्रदर्श बाबत ही अंकन है। ऐसी स्थिति में बिना बयान एवं बिना प्रदर्श दस्तावेजात न तो पढे जा सकते है ना ही उनके आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2024 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाना, साक्ष्य ग्रहण करना, दस्तावेज प्रदर्शित करना एवं उनके आधार पर निर्णय पारित करना कतई सिद्ध नहीं होता है जिससे उनके द्वारा पारित निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14, 18 एवं 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 आरबीजे पेज 314 एच0सी0, 2006

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

डब्ल्यू0एल0सी (सिविल) एस0सी0 676, 2008 आर0आर0टी(2)पेज 825 प्रस्तुत किए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी जो कि ग्राम जेठाना पटवार क्षेत्र जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार में संयुक्त रूप से निरंतर अवस्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण आज दिवस तक उक्त आराजी भूमि पर अविभाज्य रूप से अपने–अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित करता है तथा शेष प्रतिवादीगण का वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2069–2072 जमाबंदी 2075 से स्थाई में वर्णित हिस्सा निहित करता है। उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो रखा है परंतु आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है वरन सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आए दिन अपने–अपने हिस्से व सीमा को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादीगण के वारिसान परिजन, मित्रगण, सहयोगी, एजेन्ट मुख्त्यारआम, असाइनीज उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा किए भूमि पर अपने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर बुवाई करने व निराई गुडाई करने फसल काटने व लाटने के समय झगडा फसाद करने पर आमादा रहते है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नहीं रहा है अतः भूमि की किस्म, मुल्य व लगान के अनुसार रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक विभाजन किया जाना वांछित है। भूमि का आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है एवं वादीगण उक्त भूमि पर अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि पर फसल काश्त करते है जिसमें प्रतिवादीगण के ऐजेण्ट अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि पर बुवाई करने व सीमा को लेकर विवाद करते रहते है जिससे वादीगण को अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि पर फसल काश्त करना असंभव हो गया है एवं प्रतिवादीगण के काश्तकार वादीगण से आए दिन लडाई झगडा व वाद विवाद करने पर आमादा रहते है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजी का उनके हिस्से अनुसार बंटवारे की आज्ञाप्ति जारी फरमाई जाए जिससे आए दिन लडाई झगडे की संभावना ना रहे इसी कारण उक्त वाद वास्ते बंटवारा न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 42/2023 वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 4 ने बंटवारा हेतु सहमति प्रदान की तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 6 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 31.1.2024 को कार्यवाही कर वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र में प्राथमिक आज्ञप्ति जारी करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है।

विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी / काश्तकारी की आराजीयात है जो कि ग्राम जेठाना पटवार क्षेत्र जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है। इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या नया 1061 व खाता संख्या पुराना 615 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 अपने अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार / काश्तकार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अनुसार विभाजन किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाए गए थे परंतु बावजूद नोटिस तामील के वर्तमान अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 4 केशवसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे बाबत अपनी लिखित सहमति दिनांक 3.10.2023 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.01.2024 में कार्यवाही करते हुए आदेश दिए कि " **ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन के जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 1016 पुराना 615 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस प्रत्येक पक्षकार को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का विधिक बंटवारा कर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।** " अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट अंकन किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाए जो कि विधि संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा एवं कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत आदेश पारित किए है इसमें किसी पक्षकार का हक हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। यदि किसी पक्षकार को मौका कुर्रेजात रिपोर्ट व अंतिम डिक्री के समय कोई आपत्ति होगी तो उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42 / 2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner